GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF FINANCE
DEPARTMENT OF REVENUE

RAJYA SABHA STARRED QUESTION NO. 94 #
ANSWERED ON – 12/12/2023

Per capita income of various States

94 #. SMT. SUMITRA BALMIK:

Will the Minister of FINANCE be pleased to state:

(a) the increase in GST registered during the last three years, month-wise;

(b) the percentage of GDP of Madhya Pradesh as compared to India's GDP; and

(c) the per capita income of various States including that of Madhya Pradesh?

ANSWER

THE MINISTER OF FINANCE
(MS. NIRMALA SITHARAMAN)

(a) to (c): A statement is laid on the Table of the House.

*****

STATEMENT REFRRED TO IN REPLY TO PART (a) TO (c) OF RAJYA SABHA STARRED QUESTION NO. 94 # DUE FOR ANSWER ON 12TH DECEMBER, 2023

(a): The details of month-wise Gross Goods and Services Tax (GST) collection on all supplies (Domestic + Imports) during the last three financial years are given as per **Annexure I**.

(b): The percentage of GDP of Madhya Pradesh is 4.86% of India's GDP at current prices for FY 2022-23 (estimate).

(c): The per capita income of various States is placed as per **Annexure II**.

Month-wise details of GST collection on all supplies (Domestic + Imports)

Rs. In Crores

Month	Total	M-o-M growth %	Y-o-Y growth %
Apr'20	32,172	-67.03%	-71.75%
May'20	62,151	93.18%	-38.03%
Jun'20	90,918	46.29%	-9.03%
July'20	87,422	-3.85%	-14.36%
Aug'20	86,449	-1.11%	-11.97%
Sep'20	95,480	10.45%	3.88%
Oct'20	1,05,155	10.13%	10.25%
Nov'20	1,04,963	-0.18%	1.42%
Dec'20	1,15,174	9.73%	11.62%
Jan'21	1,19,875	4.08%	8.17%
Feb'21	1,13,143	-5.62%	7.39%
Mar'21	1,23,902	9.51%	26.96%
Apr'21	1,39,708	12.76%	334.25%
May'21	97,821	-29.98%	57.39%
Jun'21	92,800	-5.13%	2.07%
Jul'21	1,16,393	25.42%	33.14%
Aug'21	1,12,020	-3.76%	29.58%
Sep'21	1,17,010	4.45%	22.55%
Oct'21	1,30,127	11.21%	23.75%
Nov'21	1,31,526	1.08%	25.31%
Dec'21	1,29,780	-1.33%	12.68%
Jan'22	1,40,986	8.63%	17.61%
Feb'22	1,33,026	-5.65%	17.57%
Mar'22	1,42,095	6.82%	14.68%
Apr'22	1,67,540	17.91%	19.92%
May'22	1,40,885	-15.91%	44.02%
Jun'22	1,44,616	2.65%	55.84%
Jul'22	1,48,995	3.03%	28.01%
Aug'22	1,43,612	-3.61%	28.20%
Sep'22	1,47,686	2.84%	26.22%
Oct'22	1,51,718	2.73%	16.59%
Nov'22	1,45,867	-3.86%	10.90%
Dec'22	1,49,507	2.50%	15.20%
Jan'23	1,57,554	5.38%	11.75%
Feb'23	1,49,577	-5.06%	12.44%
Mar'23	1,60,122	7.05%	12.69%
Apr'23	1,87,035	16.81%	11.64%
May'23	1,57,090	-16.01%	11.50%
June'23	1,61,497	2.81%	11.67%
Jul'23	1,65,105	2.23%	10.81%
Aug'23	1,59,069	-3.66%	10.76%
Sep'23	1,62,712	2.29%	10.17%
Oct'23	1,72,003	5.71%	13.37%
Nov-23	1,67,929	-2.37%	15.12%

PER CAPITA NET STATE DOMESTIC PRODUCT AT CURRENT PRICES; BASE YEAR 2011-12					
					(as on 01.08.2023)
PER CAPITA NSDP AT CURRENT PRICES (In Rs)					
S. No.	State/UT	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23
1	Andhra Pradesh	160341	163746	192587	219518
2	Arunachal Pradesh	182171	181684	205645	NA
3	Assam	90123	90482	102965	118504
4	Bihar	44175	42083	47498	54111
5	Chhattisgarh	106603	104788	120704	133898
6	Goa	435949	431351	472070	NA
7	Gujarat	212428	207324	241930	NA
8	Haryana	230563	229065	264835	296685
9	Himachal Pradesh	186559	177924	201271	222227
10	Jharkhand	75016	69963	84059	91874
11	Karnataka	221431	221310	265623	301673
12	Kerala	208879	194432	233855	NA
13	Madhya Pradesh	101909	103654	121594	140583
14	Maharashtra	189889	183704	215233	NA
15	Manipur	78574	75784	91560	NA
16	Meghalaya	87653	90751	103335	112737
17	Mizoram	195365	173521	198962	NA
18	Nagaland	122759	119781	125887	NA
19	Odisha	104633	103203	128181	149902
20	Punjab	154385	150620	168705	181716
21	Rajasthan	115360	115122	135962	156149
22	Sikkim	412627	415045	463509	519964
23	Tamil Nadu	206165	209628	242253	275583
24	Telangana	231326	225663	270839	312398
25	Tripura	121456	118401	137472	159419
26	Uttar Pradesh	65660	61434	73048	83565
27	Uttarakhand	190543	184002	211657	233565
28	West Bengal	110313	106510	124798	141373
29	Andaman & Nicobar Islands	219653	205368	229080	NA
30	Chandigarh	330703	290671	333932	NA
31	Delhi	355798	331112	389529	444768
32	Jammu & Kashmir-UT	101868	101540	120790	136771
33	Puducherry	217937	208453	251344	NA

भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
राजस्व विभाग

राज्य सभा
तारांकित प्रश्न सं. 94 #

जिसका उत्तर मंगलवार, दिनांक 12 दिसम्बर, 2023, अग्रहायण 21, 1945 (शक) को दिया जाना है

भारत के विभिन्न राज्यों की प्रतिव्यक्ति आय

94 # श्रीमती सुमित्रा बाल्मीक:

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान माल एवं सेवा कर (जीएसटी) में प्रतिमाह कितनी वृद्धि हुई है;

(ख) मध्य प्रदेश का सकल घरेलू उत्पाद भारत के सकल घरेलू उत्पाद की तुलना में कितने प्रतिशत है; और

(ग) मध्य प्रदेश सहित भारत के विभिन्न राज्यों की प्रतिव्यक्ति आय कितनी है?

उत्तर
वित्त मंत्री (श्रीमती निर्मला सीतारामन)

(क) से (ग): एक विवरण सभा के पटल पर रख दिया गया है।

****

<u>राज्य सभा तारांकित प्रश्न संख्या 94 # के भाग (क) से (ग) के उत्तर में संदर्भित विवरण जिसका उत्तर दिनांक 12 दिसंबर, 2023 को दिया जाएगा</u>

(क): पिछले तीन वित्तीय वर्षों के दौरान सभी आपूर्तियों (घरेलू + आयात) पर माह-वार सकल माल और सेवा कर (जीएसटी) संग्रह का विवरण **अनुबंध I** के अनुसार है।

(ख): वित्त वर्ष 2022-23 (अनुमान) के लिए मौजूदा कीमतों पर मध्य प्रदेश की जीडीपी का प्रतिशत भारत की जीडीपी का 4.86% है।

(ग): विभिन्न राज्यों की प्रति व्यक्ति आय का विवरण **अनुबंध II** के अनुसार है।

*****

अनुबंध-I

सभी आपूर्तियों (घरेलू + आयात) पर जीएसटी संग्रहण का माहवार विवरण

(करोड़ रुपए में)

महीना	कुल	माह दर माह वृद्धि%	वर्ष दर वर्ष वृद्धि %
अप्रैल'20	32,172	-67.03%	-71.75%
मई'20	62,151	93.18%	-38.03%
जून'20	90,918	46.29%	-9.03%
जुलाई'20	87,422	-3.85%	-14.36%
अगस्त'20	86,449	-1.11%	-11.97%
सितम्बर'20	95,480	10.45%	3.88%
अक्टूबर'20	1,05,155	10.13%	10.25%
नवंबर'20	1,04,963	-0.18%	1.42%
दिसंबर'20	1,15,174	9.73%	11.62%
जनवरी'21	1,19,875	4.08%	8.17%
फरवरी'21	1,13,143	-5.62%	7.39%
मार्च'21	1,23,902	9.51%	26.96%
अप्रैल'21	1,39,708	12.76%	334.25%
मई'21	97,821	-29.98%	57.39%
जून'21	92,800	-5.13%	2.07%
जुलाई'21	1,16,393	25.42%	33.14%
अगस्त'21	1,12,020	-3.76%	29.58%
सितम्बर'21	1,17,010	4.45%	22.55%
अक्टूबर'21	1,30,127	11.21%	23.75%
नवम्बर'21	1,31,526	1.08%	25.31%
दिसम्बर'21	1,29,780	-1.33%	12.68%
जनवरी'22	1,40,986	8.63%	17.61%
फरवरी'22	1,33,026	-5.65%	17.57%
मार्च'22	1,42,095	6.82%	14.68%
अप्रैल'22	1,67,540	17.91%	19.92%
मई'22	1,40,885	-15.91%	44.02%
जून'22	1,44,616	2.65%	55.84%
जुलाई'22	1,48,995	3.03%	28.01%
अगस्त'22	1,43,612	-3.61%	28.20%
सितम्बर'22	1,47,686	2.84%	26.22%
अक्टूबर'22	1,51,718	2.73%	16.59%
नवम्बर'22	1,45,867	-3.86%	10.90%
दिसम्बर'22	1,49,507	2.50%	15.20%
जनवरी'23	1,57,554	5.38%	11.75%
फरवरी'23	1,49,577	-5.06%	12.44%
मार्च'23	1,60,122	7.05%	12.69%
अप्रैल'23	1,87,035	16.81%	11.64%
मई'23	1,57,090	-16.01%	11.50%
जून'23	1,61,497	2.81%	11.67%
जुलाई'23	1,65,105	2.23%	10.81%
अगस्त'23	1,59,069	-3.66%	10.76%
सितम्बर'23	1,62,712	2.29%	10.17%
अक्टूबर'23	1,72,003	5.71%	13.37%
नवंबर-23	1,67,929	-2.37%	15.12%

अनुबंध-II

वर्तमान कीमतों पर प्रति व्यक्ति शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद; आधार वर्ष 2011-12					
					(01.08.2023 तक)
मौजूदा मूल्यों पर प्रति व्यक्ति एनएसडीपी (रुपये में)					
क्र.सं.	**राज्य/संघ राज्य क्षेत्र**	**2019-20**	**2020-21**	**2021-22**	**2022-23**
1	आंध्र प्रदेश	160341	163746	192587	219518
2	अरुणाचल प्रदेश	182171	181684	205645	उपलब्ध नहीं
3	असम	90123	90482	102965	118504
4	बिहार	44175	42083	47498	54111
5	छत्तीसगढ	106603	104788	120704	133898
6	गोवा	435949	431351	472070	उपलब्ध नहीं
7	गुजरात	212428	207324	241930	उपलब्ध नहीं
8	हरियाणा	230563	229065	264835	296685
9	हिमाचल प्रदेश	186559	177924	201271	222227
10	झारखंड	75016	69963	84059	91874
11	कर्नाटक	221431	221310	265623	301673
12	केरल	208879	194432	233855	उपलब्ध नहीं
13	मध्य प्रदेश	101909	103654	121594	140583
14	महाराष्ट्र	189889	183704	215233	उपलब्ध नहीं
15	मणिपुर	78574	75784	91560	उपलब्ध नहीं
16	मेघालय	87653	90751	103335	112737
17	मिजोरम	195365	173521	198962	उपलब्ध नहीं
18	नागालैंड	122759	119781	125887	उपलब्ध नहीं
19	ओडिशा	104633	103203	128181	149902
20	पंजाब	154385	150620	168705	181716
21	राजस्थान	115360	115122	135962	156149
22	सिक्किम	412627	415045	463509	519964
23	तमिलनाडु	206165	209628	242253	275583
24	तेलंगाना	231326	225663	270839	312398
25	त्रिपुरा	121456	118401	137472	159419
26	उत्तर प्रदेश	65660	61434	73048	83565
27	उत्तराखंड	190543	184002	211657	233565
28	पश्चिम बंगाल	110313	106510	124798	141373
29	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	219653	205368	229080	उपलब्ध नहीं
30	चंडीगढ़	330703	290671	333932	उपलब्ध नहीं
31	दिल्ली	355798	331112	389529	444768
32	जम्मू और कश्मीर-यूटी	101868	101540	120790	136771
33	पुदुचेरी	217937	208453	251344	उपलब्ध नहीं

श्रीमती सुमित्रा बाल्मीकः सभापति महोदय, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। महोदय, आज देश में एक ही गारंटी है और वह है मोदी जी की गारंटी। भारत 2027 तक दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा और मैं समझती हूं कि यह वादा पूरा होगा। महोदय, हमारे प्रधान मंत्री जी यहीं नहीं रुके हैं, बल्कि उन्होंने इससे आगे बढ़कर 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का आह्वान किया है। मैं आपके द्वारा माननीय मंत्री जी से जानना चाहती हूं कि 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के लिए सरकार ने क्या-क्या प्रयास किए हैं?

श्री पंकज चौधरीः माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन को बताना चाहता हूं कि हमारे युगदृष्टा प्रधान मंत्री जी ने जब से देश का नेतृत्व संभाला है, तब से देश के जन-जन को सशक्त बनाने के लिए विश्व की सबसे बड़ी 'आर्थिक समावेशीकरण योजना' लागू की, जिसमें 'जन-धन योजना' के माध्यम से लगभग 51 करोड़ खाते खोले गए। इतना ही नहीं, देश में जितने अनावश्यक कानून थे, ऐसे 1,500 से अधिक कानूनों को समाप्त किया, बैंक से लोन लेने के मामले में सीमा के निस्तारण के लिए IBC को भी लागू किया और जो 20 से अधिक लेबर कानून थे, जो समय-समय पर बिजनेस के लिए दिक्कत पैदा करते थे, उनको भी समाप्त करके चार श्रम कोड लाने का काम किया। 'एक देश-एक कर' के तहत जीएसटी लाकर टैक्स को ठीक करने का काम किया गया, आयकर में फेसलैस लाकर लोगों को कहीं न कहीं राहत देने का भी काम किया है। हमारे युगदृष्टा प्रधान मंत्री जी ने औद्योगिक वातावरण बनाने के लिए काम शुरू किया है, इसलिए आधारभूत संरचना पर लगातार विकास का काम किया गया है। महोदय, हाईवे हो, रेलवे हो, एयरपोर्ट हो, आप इनमें विकास होता देख रहे हैं। उन्होंने पूँजीगत व्यय को लगातार बढ़ाकर देश को गति देने का काम किया है। यदि पिछले लगातार तीन बजट देखें, तो पाएंगे कि इसे तीन साल से लगातार 5 लाख, 7.5 लाख और 10 लाख करोड़ करने का काम किया गया है। कॉरपोरेट टैक्स को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाया गया है। एफडीआई का सरलीकरण किया गया है। इसके अतिरिक्त, कई योजनाएं लागू की गई हैं, जिन्होंने आर्थिक माहौल को बदल दिया है, जैसे "पीएम गति शक्ति योजना", "पीएलआई स्कीम", "नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी", "राष्ट्रीय मुद्रीकरण पाइपलाइन", "राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन"। इसके साथ-ही-साथ, प्रधान मंत्री जी का कहना है – "सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास"। प्रधान मंत्री जी की सोच है कि हम इसे अकेले नहीं कर सकते हैं। जब तक देश में सबका सहयोग नहीं होगा, तब तक देश विकसित राष्ट्र नहीं बन सकता है। आप देखिए कि प्रधान मंत्री जी ने 2047 में विकसित राष्ट्र बनाने का जो लक्ष्य रखा है, उसमें भारतवासियों का सहयोग चाहिए, इसलिए प्रधान मंत्री जी नागरिकों को हर मूलभूत सुविधा प्रदान करने की योजना लेकर आए हैं, वह चाहे शौचालय हो, बिजली हो, नल से जल हो, सड़क हो, आयुष्मान कार्ड हो, स्वनिधि का ऋण हो, मुद्रा ऋण हो, कारीगरों के लिए विश्वकर्मा योजना हो, स्किल डेवलपमेंट हो। इसके साथ-ही-साथ, 81 करोड़ लोगों को जो अन्न दिया जा रहा है, प्रधान मंत्री जी ने उसे पाँच साल तक आगे बढ़ाने का काम किया है। सरकार के इन्हीं प्रयासों का नतीजा है कि भारत की अर्थव्यवस्था विश्व में तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्थाओं में से एक है।

MR. CHAIRMAN: Second supplementary. Shrimati Sumitra Balmik.

श्रीमती सुमित्रा बाल्मीकः माननीय सभापति जी, जीएसटी के रूप में हमारी सरकार ने एक राष्ट्रीय टैक्स की व्यवस्था दी है। इसी का परिणाम है कि आज अरुणाचल प्रदेश से गुजरात तक तथा कश्मीर से कन्याकुमारी तक, पूरे देश में एक ही टैक्स लगता है। सामान के पैकेट पर भाषा चाहे जो छपी हो, लेकिन टैक्स एक ही लगता है। इससे व्यापार में बहुत सुविधा हो गई है। पिछले कुछ वर्षों में जीएसटी टैक्स में लगातार सुधार हो रहा है। मैं मंत्री महोदय से जानना चाहती हूँ कि जीएसटी सिस्टम में क्या सुधार किए गए हैं? यह सिस्टम और प्रभावी बने, इन सुधारों का क्या परिणाम निकलता है?

श्री पंकज चौधरीः सभापति जी, जीएसटी – वन नेशन, वन टैक्स का सिस्टम अपने आप में एक क्रांतिकारी बदलाव था, क्योंकि जीएसटी ने अपने अंदर 17 टैक्स और तीन सेस को समाहित करके, व्यवसायों को सशक्त बनाने में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। पिछले कुछ वर्षों में जीएसटी प्रणाली में अनेक महत्वपूर्ण परिवर्तन किए गए हैं, जैसे जीएसटी पोर्टल लॉग-इन किए बगैर पात्र करदाताओं को एसएमएस आधारित निल फाइलिंग की सुविधा प्रदान करता है। जीएसटी रिटर्न 2बी का निर्माण हुआ, जिसमें टैक्सपेयर को जीएसटी रिटर्न के विभिन्न स्रोतों से इनपुट टैक्स क्रेडिट की जानकारी को ऑटो-पॉपुलेट किया जा रहा है। जीएसटी पंजीकरण की प्रक्रिया में भी आधार के माध्यम से तुरंत वेरिफिकेशन की प्रक्रिया शुरू की गई है। त्रैमासिक रिटर्न और मासिक भुगतान का प्रावधान किया गया है। बिज़नेस इंटेलीजेंस और एनालिसिस सिस्टम के माध्यम से, कर चोरी, बेमेल चालान आदि मामलों का पता लगाया जा रहा है। इन सभी प्रयासों के माध्यम से, जीएसटी सिस्टम दिन-प्रतिदिन सुविधाजनक होता चला जा रहा है। इस सिस्टम को भी कहीं-न-कहीं समय-समय पर इम्प्रूव किया जा रहा है।

प्रो. राम गोपाल यादवः श्रीमन्, मेरा एक बिल्कुल प्वाइंटेड सवाल है। यह पर कैपिटा इनकम लोगों में बहुत बड़ी गफलत पैदा करती है। इसमें कुछ लोग ऐसे होते हैं, जिनके पास अरबों रुपये हैं और कुछ ऐसे होते हैं, जिनकी आमदनी दस रुपये भी नहीं है। मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूँ कि क्या गवर्नमेंट ने यह सर्वे करवाया है कि देश के निचले 20 परसेंट लोगों की प्रति व्यक्ति आय क्या है?

श्री पंकज चौधरीः माननीय सभापति महोदय, माननीय सदस्य ने जो विषय पूछा है, अगर उसे देखें, तो जो सर्वे रिपोर्ट आती है, उसमें जो नेट जीडीपी होता है, Net GDP divided by population, उसके आधार पर इसका आंकड़ा निकलता है। अगर आप देखें, तो जहाँ 2013 में देश की पर कैपिटा इनकम 89,118 रुपये थी, वहीं 2022-23 में देखें, तो यह 1,72,276 रुपये हो गई है। ...(**व्यवधान**)... वर्ष 2014 में प्रधान मंत्री जी के आने के बाद से नौ वर्षों में प्रति व्यक्ति आय में 118 परसेंट की वृद्धि हुई है। ...(**व्यवधान**)...

MR. CHAIRMAN: Hon. Professor, let the hon. Minister respond. ...*(Interruptions)*... I have understood your question. Fourth supplementary, Shri Saket Gokhale.

SHRI SAKET GOKHALE: Sir, I thank you for the opportunity. Through you, I would like to ask the hon. Minister as to what the total amount of GST dues of States is, especially, West Bengal and other States, that are yet to be released to them. In addition, I would also like to ask about States which have had their dues pending or withheld, what the reason behind that is.

श्री पंकज चौधरी: माननीय सभापति महोदय, अगर देखें, तो किसी भी राज्य का जीएसटी बकाया नहीं है और वह जितना भी था, उसे सभी प्रदेशों को दिया जा चुका है। अभी बहुत से प्रदेशों की AG's Report नहीं आई, उसके बाद भी हमने उनको अनंतिम भुगतान कर दिया है। AG's Report आने के बाद उनको फाइनल भुगतान कर दिया जाएगा।

MR. CHAIRMAN: Shri Rajeev Shukla, fifth supplementary. *...(Interruptions)...* The hon. Minister wants to intervene. *...(Interruptions)...* Shukla*ji*, one minute. *...(Interruptions)...* The hon. Minister is responding not only to the last supplementary, but to the earlier one also from Professor.

THE MINISTER OF FINANCE (SHRIMATI NIRMALA SITHARAMAN): Sir, on the question of GST compensation, it is important to understand --the hon. MoS has explained the AG's certificate, but I just want to put it on the Table so that Members are clear -- that if the AG's certificates don't reach us, we cannot clear. When the AG's certificate reaches us, there are some States which tell us, "Hold on till we tell you to clear it." I want to specifically name the States so that there are no doubts in the minds of the people here. AG's certificates have not been received as yet for some States. For instance, Goa. For 2017-18, 2018-19, 2019-20, the AG's certificates have not been received. And again, Goa for 2021-22 and 2022-23, the first quarter. So, no AG's certificate has come. In fact, for 2022-23, except for Karnataka, no State has given the AG's certificate to us as yet. Now West Bengal; since the hon. Member is from West Bengal; for 2019-20, 2020-21, 2021-22, 2022-23 (first quarter), AG's certificate has not come from West Bengal. So, the amount will not be released. So, call it pending, I am sorry, it is a misnomer. Let them send the AG's certificate, we will clear it. So, also, there are several other States which have not submitted the AG's Report. One State, Kerala, sent the AG's certificate, but also told us to hold on till they reconcile some numbers with the AG themselves. So, we are holding on. That is not again pending from our side. On this narrative which goes around that GST compensation is all pending, no, I am sorry! Let's be clear on that.

श्री राजीव शुक्ला: महोदय, इसका सरलीकरण हो जाए, तो देश भर में इसके सरलीकरण से लोगों को, व्यापारियों को बड़ी सुविधा होगी और बिजनेसमैन और मैनुफैक्चरर्स को भी बहुत सुविधा होगी। इसके संबंध में बहुत शिकायतें हैं और यह बहुत complicated है। इस तरह से अधिकारी उनको परेशान कर रहे हैं, शायद भाजपा के लोग भी यह जानते हैं कि व्यापारी, अधिकारी इससे कितना ज्यादा परेशान हैं। ये जो complications हैं, यह जो उनका सरलीकरण करने की प्रक्रिया है, उसके लिए आगे जो बजट आने वाला है या वोट ऑन अकाउंट जो भी होगा, तो इस संबंध में क्या आप कुछ सोच रही हैं कि इसका सरलीकरण किया जाए? गिरफ्तारी के प्रावधान का भयानक मिसयूज़ होता है। उनको डरा-डरा कर गिरफ्तारी करते हैं। क्या आप इसके बारे में कुछ सोच रही हैं कि इसका कुछ रास्ता निकाला जाए?

SHRIMATI NIRMALA SITHARAMAN: Sir, let me again take this opportunity to explain. The GST Council has been approached. The Finance Ministers of States who are seated as hon. members in the GST Council, have all been approached by various communities, business leaders and also by traders. They have been told about the difficulties that they are facing on the ground. And, the GST Council does discuss these things. Periodically, the forms have been simplified accordingly. As regards complaints where there is misuse of, let us say, authority, where some local officer is exceeding his brief, action has been taken by the Council. And, I would welcome, not just hon. Member, Rajeev Shukla*ji*, but any Member who thinks there are difficulties faced at the ground, particularly, if officers are exceeding their brief, I am quite happy to receive it and take action on it.

MR. CHAIRMAN: The House is adjourned to meet at 2.00 p.m. today.